वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 22.05.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला,दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स,जागरूक एक्स्प्रेस,परफेक्ट मिशन, " समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 22.05.2026

ओटीएस योजना का लाभ उठाएं संपत्ति और नक्शों के बकायेदार

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से चलाई जा रही एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026) की प्रगति की समीक्षा बृहस्पतिवार को सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने की। उन्होंने संपत्ति और नक्शों से संबंधित बकाया धनराशि की वसूली की प्रगति जानी। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि बकायेदारों से सीधे संपर्क स्थापित कर बकाया वसूली के लिए ठोस रणनीति अपनाएं। इसके लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाए। सभी जोनल अधिकारी और जेई संयुक्त टीम बनाकर नियमित रूप से फील्ड में निकलें। ब्यूरो

दैनिक जागरण –दि0 22.05.2026

वीडीए ने बकायेदारों पर कसा शिकंजा, ओटीएस का लाभ लेने की अपील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने संपत्ति और मानचित्र से जुड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए वसूली अभियान तेज करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को वीडीए सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने की।

सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि बकायेदारों से सीधे संपर्क स्थापित कर प्रभावी रणनीति के तहत वसूली अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लागू ओटीएस-2026 योजना आमजन को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सचिव ने डोर-टू-डोर अभियान चलाने के लिए विशेष टीमों के गठन के निर्देश दिए। साथ ही सभी जोनल अधिकारियों और अवर अभियंताओं (जेई) को संयुक्त टीम बनाकर नियमित रूप से फील्ड में उतरने और वसूली कार्य में तेजी लाने को कहा। संपत्ति विभाग के लिपिकों और रेंट कलेक्टरों को भी सक्रिय रूप से अभियान में शामिल करने का निर्देश दिया गया।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 22.05.2026

संपत्ति एवं मानचित्र से संबंधित बकायेदारों को वाराणसी विकास प्राधिकरण का सख्त निर्देश, ओ.टी.एस.-2026 योजना का लाभ उठाने की अपील

वाराणसी । विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.-2026) के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत प्राधिकरण सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने की। बैठक में संपत्ति एवं मानचित्र से संबंधित बकाया धनराशि की वसूली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से फीडबैक प्राप्त किया गया।बैठक के दौरान सचिव ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि बकायेदारों से सीधे संपर्क स्थापित कर बकाया वसूली हेतु प्रभावी एवं ठोस रणनीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लागू ओ.टी.एस.-2026 योजना आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है, इसलिए

अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।इसके लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाने हेतु विशेष टीमों के गठन के निर्देश दिए गए, ताकि प्रत्येक बकायेदार तक पहुंचकर उन्हें योजना की जानकारी दी जा सके और बकाया जमा कराने के लिए प्रेरित किया जा सके।सचिव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता (जेई) संयुक्त टीम बनाकर नियमित रूप से फील्ड में निकलें तथा वसूली कार्य में तेजी लाएं। इसी प्रकार संपत्ति विभाग में संबंधित योजनाओं के लिपिक एवं रेंट कलेक्टरों की टीम बनाकर फील्ड में सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती गई अथवा वसूली कार्य में उदासीनता दिखाई गई तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।बैठक में सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि जो बकायेदार ओ.टी.एस.-2026 योजना का लाभ नहीं लेंगे, उनके विरुद्ध भविष्य में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना बकायेदारों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके माध्यम से वे अपनी बकाया धनराशि का समाधान कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी आवंटियों एवं बकायेदारों से अपील की कि वे समय रहते योजना का लाभ उठाकर अपनी देनदारियों का निस्तारण करें तथा अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से बचें।

बैठक में संपत्ति अधिकारी रमेश चंद दुबे, सभी जोन के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता (जेई) तथा संपत्ति विभाग से संबंधित लिपिक उपस्थित रहे।

जागरूक एक्सप्रेस –दि0 22.05.2026

वीडीए ने बकायेदारों से की ओटीएस योजना का लाभ उठाने की अपील

जिला संवाददाता

वाराणसी (जागरूक एक्सप्रेस)। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.-2026) के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत गुरुवार को प्राधिकरण सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने की। बैठक में संपत्ति एवं मानचित्र से संबंधित बकाया धनराशि की वसूली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से फीडबैक प्राप्त किया गया।

बैठक के दौरान सचिव ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि बकायेदारों से सीधे संपर्क स्थापित कर बकाया वसूली हेतु प्रभावी एवं ठोस रणनीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लागू ओ.टी.एस.-2026 योजना आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाने हेतु विशेष टीमों के गठन के निर्देश दिए गए, ताकि प्रत्येक बकायेदार तक पहुंचकर उन्हें योजना की जानकारी दी जा सके और बकाया जमा कराने के लिए प्रेरित किया जा सके। सचिव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता (जेई) संयुक्त टीम बनाकर नियमित रूप से फील्ड में निकलें तथा वसूली कार्य में तेजी लाएं। इसी प्रकार संपत्ति विभाग में संबंधित योजनाओं के लिपिक एवं रेंट कलेक्टरों की टीम बनाकर फील्ड में सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती गई अथवा वसूली कार्य में उदासीनता दिखाई गई तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन –दि0 22.05.2026

बकायेदारों के लिए अंतिम मौका वरना होगी दंडात्मक कार्रवाई

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि ओ.टी.एस.-2026 योजना बकायेदारों के लिए खुद को कानूनी झंझटों से बचाने का एक सुनहरा और अंतिम अवसर है। जो आवंटी इस योजना की अवधि के भीतर अपने बकाये का निस्तारण नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भविष्य में नियमानुसार बेहद सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडीएमें समीक्षा बैठक की गयी। उपस्थित विभिन्न जोन के कर्मियों को फिल्ड में जाकर ओटीएस 2026 योजना के प्रचार प्रसार करते हुए बकायेदारों से बकाया भुगतान कराने का निर्देश दिया सचिव ने अपील करते हुए कहा कि यह योजना आमजन को ब्याज और जुर्माने में भारी राहत देने के लिए चलाई जा रही है। सभी बकायेदार समय रहते अपनी देनदारियों का निपटारा करें और अनावश्यक कानूनी कार्रवाई व भारी जुर्माने से बचें इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में संपत्ति अधिकारी रमेश चंद दुबे, सभी जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता (जेई), संपत्ति विभाग के मुख्य लिपिक और रेंट कलेक्टर्स मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी को तत्काल प्रभाव से नई रणनीति पर काम शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं।